

27.06.23

पत्रावली प्रस्तुत। वादी अधिवक्ता श्री जगदीश  
प्रापत उपस्थित। प्रतिवादी सं. 1, 2 के  
अधिवक्ता श्री दशरथराम उपस्थित। वादी  
अधिवक्ता 07R11 CPC का जवाब प्रस्तुत  
किया। नियुक्ति शामिल पत्रावली किया गया कि  
जवाब की प्रति वादी अधिवक्ता को दी गयी।  
पत्रावली वस्तु 07R11 CPC वादी अधिवक्ता  
-गण की वस्तु हेतु दिनांक 30.06.2023  
को पेश हो।

3.7.23

पत्रावली प्रस्तुत। वादी अधि. व प्रतिवादी  
सं 1, 2 के अधिवक्ता द्वारा प्रा. प.  
CPC 07 R11 पर वदस की गई।  
पत्रावली वस्तु आदेश प्रा. प. 07  
R11, दिनांक 12.7.23 को प्रस्तुत  
हो।

सहायक कार्यपालक  
मुख्य न्यायाधीश, जोधपुर

12/7/23

पत्रावली प्रस्तुत। वादी अधि. व प्रतिवादी  
सं. 1, 2 के अधिवक्ता उपस्थित। पीठासीन  
अधिकारी दिगर कार्य में व्यस्त होने के कारण  
आदेश नहीं लिखवाया जा सका। पत्रावली  
वास्तु आदेश प्रा. पत्र 07R11 हेतु दिनांक  
20/7/2023 को पेश हो।

सहायक कार्यपालक एवं कार्यपालक  
मुख्य न्यायाधीश, जोधपुर

20/7/2023

पत्रावली प्रस्तुत। वादी अधि. उप. व प्रतिवादी सं.  
1, 2 के अधि. उप. प्रतिवादी (पार्श्व) का प्रार्थना  
-पत्र अन्तर्गत सीपीसी आदेश 07 नियम 11  
का स्वीकार किया जाता है। आदेश लिखके  
से लिखा जाकर संलग्न पत्रावली किया गया  
जिसके फलस्वरूप अपार्षी (वादी) का संलग्न

# Order Sheet (Subsequent)

CNR NUMBER .....

Number of Case ..... Year .....

Versus .....

Order with initials of Presiding Officer

Brief note of compliance of the Order

P/359/2023 अन्तर्गत धारा 88 व  
188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम  
1955 स्वतः ही खारिज हो जाता है,  
फावली फैसल शुमार एक नम्बर  
से कम होकर दाखिल दफ्तर ही।



jk  
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक  
मजिस्ट्रेट (FT), जोधपुर